

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6 / अ0-03-32 / 2022

पटना, दिनांक-

श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य-कर उपायुक्त (60-62), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-07.04.2026 से 29.04.2026 तक कुल 23 (तेईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री मिश्र के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (224-23=201) (दो सौ एक) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)
उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / अ0-03-32 / 2022 1111

/पटना, दिनांक- 30/3/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015 /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी(स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य-कर उपायुक्त (60-62), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।
30.03.2026